

आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

ऑगनबाड़ी अपीलवाद सं०-197/2022

सोनी कुमारी

बनाम

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,

दरियापुर एवं अन्य

आदेश

14.06.2024


प्रस्तुत अपीलवाद, ऑगनबाड़ी वाद संख्या-129/2021, सोनी कुमारी बनाम बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दरियापुर एवं अन्य में दिनांक 30.07.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध इस स्तर पर दायर किया गया है।


अपीलकर्ता द्वारा इस स्तर पर दायर वाद दिनांक 02.12.2022 को ग्रहण के बिंदु पर सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया। दिनांक 02.12.2022 को न्यायालयीय कार्य स्थगित रहने के कारण वाद को कतिपय अन्य तिथियो यथा दिनांक 23.12.2022, दिनांक 13.01.2023, दिनांक 03.02.2023, दिनांक 16.06.2023, दिनांक 15.09.2023, दिनांक 10.11.2023, दिनांक 22.12.2023, दिनांक 15.03.2024, दिनांक 03.05.2024 एवं दिनांक 14.06.2024 को भी सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया, जिसमें अपीलकर्ता अनुपस्थित रही हैं। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद दायर करने के पश्चात अपीलकर्ता द्वारा एक बार भी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गयी हैं। अपीलकर्ता के लगातार अनुपस्थित रहने से ऐसा प्रतीत होता है कि वाद के निष्पादन के प्रति उनकी कोई वास्तविक अभिरुचि नहीं हैं।

उपर्युक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को अपना पक्ष रखने हेतु पूर्व में पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं। ऐसे में उन्हें सुनवाई हेतु कोई अन्य अवसर दिया जाना समुचित प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त वर्णित कारण से प्रस्तुत अपीलवाद को पैरवी के अभाव में ग्रहण के बिंदु पर खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित


आयुक्त


आयुक्त